अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2017

सं. 47/2017- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि.1396(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017(2017का 13) (इस अधिसूचना में एतश्मिन पश्चात् जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तथा परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एततद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को उक्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत उन पर लगाए गए एकीकृत कर से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक वह उक्त सारणी के कॉलम (2) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट संस्थानों को आपूर्ति किए जाने पर 5 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक होते हैं बशर्तें की उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हों :—

सारणी

क्रम सं.	**संस्थानों का नाम**	**वस्तुओं का विवरण**	**शर्तें**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सार्वजनिक कोष से सहायता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर या राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान/क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज जो अस्पताल से भिन्न हों।	(क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत); (ख) सहायक वस्तुएं, कलपूर्जे, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्देश्य से); (ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर काम्पेक्ट डिस्क-रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डेड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिसेस; (घ) प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स का सकल मूल्य जोकि किसी संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है किसी एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रु. से अधिक न हो।	(i) इन वस्तओं की आपूर्ति निम्नलिखित को या के लिए की जाती हो – (क) भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग या रक्षा अनुसंधान विभाग संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले अनुसंधान संस्थान जिनको सार्वजनिक कोष से वित्त पोषित किया जाता हो और ऐसा संस्थान कम से कम उप सचिव, भारत सरकार या उप सचिव, राज्य सरकार या उप सचिव, संघ राज्य के स्तर के अधिकारी, संबंधित विभाग से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र विशिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत करता हो; या (ख) कोई संस्थान जोकि भारत सरकार के विज्ञान एवं अनुसंधान विभाग में पंजीकृत हो और ऐसा संस्थान कम से कम भारत सरकार के उप सचिव या राज्य सरकार के उप सचिव या संघ राज्य के उप सचिव, संबंधित विभाग के, स्तर के अधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र विशिष्ट माल की आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत करता हो; (ii) ऐसा संस्थान, आपूर्ति के समय

			आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक मामले में संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे की उक्त माल की जरूरत अनुसंधान के उद्देश्य के लिए है; (iii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह प्रणियों पर प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो।
2.	अस्पताल से भिन्न अनुसंधान संस्थान	(क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत); (ख) सहायक वस्तुएं, कलपूर्जे, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्देश्य से); (ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर काम्पेक्ट डिस्क-रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डेड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिसेस; (घ) प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स का सकल मूल्य जोकि किसी संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है किसी एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रु से अधिक न हो।	(1) ऐसे संस्थान जो भारत सरकार के विज्ञान एवं अनुसंधान विभाग में पंजीकृत हो; जोकि - (i) आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र, प्रत्येक मामले में प्रस्तुत करता हो कि उक्त वस्तु अनुसंधान के उद्देश्य के लिए आवश्यक है और इसका प्रयोग उक्त उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा; (ii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह प्रणियों पर प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो। (2) उपर्युक्त (1) के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को संस्थान के द्वारा स्थापित किए जाने के 5 वर्ष की अवधि तक न तो स्थानांतरित किया जाएगा न ही बेचा जाएगा।

3.	केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभाग और प्रयोगशालाएं, अस्पताल से भिन्न	(क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत); (ख) सहायक वस्तुएं, कलपूर्जे, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्देश्य से); (ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर काम्पेक्ट डिस्क-रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डेड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिसेस; (घ) प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स का सकल मूल्य जोकि किसी संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है किसी एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रु से अधिक न हो।	(i) यह संस्थान, आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र, प्रत्येक मामले में प्रस्तुत करता हो कि उक्त वस्तु अनुसंधान के उद्देश्य के लिए आवश्यक है और इसका प्रयोग उक्त उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा; (ii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह प्रणियों पर प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो।
4.	क्षेत्रीय कैंसर सेंटर (कैंसर संस्थान)	(क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत); (ख) सहायक वस्तुएं, कलपूर्जे, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्देश्य से); (ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर काम्पेक्ट डिस्क-रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डेड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिसेस;	(i) ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति भारत सरकार के विज्ञान एवं अनुसंधान विभाग में पंजीकृत क्षेत्रीय कैंसर केंद्र को की जा रही हो और ऐसा संस्थान कम से कम भारत सरकार के उप सचिव या भारत सरकार के उप सचिव या संघ राज्य के उप सचिव, संबंधित विभाग के, स्तर के अधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र विशिष्ट माल की आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत करता हो; (ii) यह संस्थान, आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र, प्रत्येक मामले में प्रस्तुत करता हो कि उक्त वस्तु अनुसंधान के उद्देश्य के लिए आवश्यक है; (iii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की

			अनुसंधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह प्रणियों पर प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए अभिव्यक्ति -

(क) "सार्वजनिक कोष से पोषित वित्त संस्थान" से अभिप्राय ऐसे अनुसंधान संस्थान से है जिनके व्यय का कम से कम 50 प्रतिशत केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा वहन किया जाता हो;

(ख) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय ऐसे विश्वविद्यालय से है जिनकी स्थापना या निगमन किसी केंद्र राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो और इसमें शामिल हैं -

(i) ऐसा कोई संस्थान जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अंतर्गत इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए मानद विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया हो;

(ii) ऐसा कोई संस्थान जिसे संसद के द्वारा किसी कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया हो;

(iii) कोई कालेज जो किसी विश्वविद्यालय के द्वारा देखा जाता हो या उससे संबद्ध हो;

(ग) "प्रमुख" से अभिप्राय-

(i) किसी संस्थान के मामले में उसके निदेशक से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो);

(ii) किसी विश्वविद्यालय के मामले में उसके रजिस्ट्रार से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो);

(iii) किसी कालेज के मामले में उसके प्रधानाचार्य से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो);

(घ) "अस्पताल" में शामिल है ऐसे कोई भी संस्थान, सेंटर, न्यास, समिति, संघ, प्रयोगशाला या मैटरनिटी होम जो कि चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या नैदानिक सेवा प्रदान करते हों।

2. यह अधिसूचना 15, नवंबर, 2017 से प्रवृत होगी ।

[फा. सं. 354/320/2017-(टीआरयू)]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2017

No. 47/2017-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 1396(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act"), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table below, from the so much of the integrated tax leviable thereon under section 5 of the said Act, as in excess of the amount calculated at the rate of 5 per cent., when supplied to the institutions specified in the corresponding entry in column (2) of the Table, subject to the conditions specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table-

TABLE

S. No.	Name of the Institutions	Description of the goods	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Public funded research institution other than a hospital or a University or an Indian Institute of Technology or Indian Institute of Science, Bangalore or a National Institute Technology/ Regional Engineering College	(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers); (b) accessories, parts, consumables and live animals (experimental purpose); (c) computer software, Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches; (d)Prototypes, the aggregate value of prototypes received by an institution does not exceed fifty thousand rupees in financial year.	(i) The goods are supplied to or for – (a) a public funded research institution under the administrative control of the Department of Space or Department of Atomic Energy or the Defence Research Development Organisation of the Government of India and such institution produces a certificate to that effect from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India or the Deputy Secretary to the State Government or the Deputy Secretary in the Union Territory in the concerned department to the supplier at the time of supply of the specified goods; or (b) an institution registered with the Government of India in the Department of Scientific and Research and such institution produces a certificate from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India or the Deputy Secretary to the State Government or the Deputy Secretary in the Union territory in concerned department to the supplier at the time of supply of the specified goods; (ii) The institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution, in each case, certifying that the said goods are required for research purposes only; (iii) In the case of supply of live animals for experimental purposes, the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution that the live animals are required for research purposes and enclose a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals.
2.	Research institution, other than a hospital	(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers); (b) accessories, parts, consumables and live animals (experimental purpose); (c) computer software, Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches; (d) Prototypes, the aggregate value of prototypes received by an	(1) The institution is registered with the Government of India in the Department of Scientific and Research, which- (i) produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the head of the institution, in each case, certifying that the said goods are essential for research purposes and will be used for stated purpose only; (ii) in the case of supply of live animals for experimental purposes, the institution produces, at the time of

		institution does not exceed fifty thousand rupees in a financial year.	supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution that the live animals are required for research purposes and enclose a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals. (2) The goods falling under (1) above shall not be transferred or sold by the institution for a period of five years from the date of installation.
3.	Departments and laboratories of the Central Government and State Governments, other than a hospital	(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers); (b) accessories, parts, consumables and live animals (experimental purpose); (c) Computer software, Compact Disc-Read Only Memory(CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches; (d) Prototypes, the aggregate value of prototypes received by an institution does not exceed fifty thousand rupees in a financial year.	(i) The institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution, in each case, certifying that the said goods are required for research purposes only; (ii) in the case of supply of live animals for experimental purposes, the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution that the live animals are required for research purposes and enclose a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals.
4.	Regional Cancer Centre (Cancer Institute)	(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers); (b) accessories, parts, consumables and live animals (experimental purpose); (c) Computer software, Compact Disc-Read Only Memory(CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches.	(i) The goods are supplied to the Regional Cancer Centre registered with the Government of India, in the Department of Scientific and Research and such institution produces a certificate from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India or the Deputy Secretary to the State Government or the Deputy Secretary in the Union territory in concerned department to the supplier at the time of supply of the specified goods; (ii) the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution, in each case, certifying that the said goods are required for research purposes only; (iii) in case of supply of live animals for experimental purposes, the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution that the live animals are required for research purposes and enclose a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals.

Explanation. - For the purposes of this notification, the expression, -

(a) "Public funded research institution" means a research institution in the case of which not less than fifty per-cent. of the recurring expenditure is met by the Central Government or the Government of any State or the administration of any Union territory;

(b) "University" means a University established or incorporated by or under a Central, State or Provincial Act and includes -

(i) an institution declared under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) to be a deemed University for the purposes of this Act;

(ii) an institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance;

(iii) a college maintained by, or affiliated to, a University;

(c) "Head" means -

(i) in relation to an institution, the Director thereof (by whatever name called);

(ii) in relation to a University, the Registrar thereof (by whatever name called);

(iii) in relation to a college, the Principal thereof (by whatever name called);

(d) "hospital" includes any Institution, Centre, Trust, Society, Association, Laboratory, Clinic or Maternity Home which renders medical, surgical or diagnostic treatment.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

[F. No. 354/320/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2017

सं. 41/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर(दर)

सा.का.नि.1397(अ).—संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का. नि. 710(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची I – 2.5% में,-

(i) क्रम संख्या **1** और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा;-

"1	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	सभी वस्तुएं [उनसे भिन्न जो ताजी और चिल्ड हो], और युनिट कंटेनर में हो और,- **(क)** जिन पर पंजीकृत ब्रांड नेम लिखा हो; या **(ख)** जिन पर ऐसा ब्रांड नेम लिखा हो जिनके आधार पर किसी विधिक न्यायालय में कार्यवाही किए जाने का दावा प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हो [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नेम के बारे में कार्यवाही के दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्यागकिया गया हो], अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए";